सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

F.No NCST/SER-1294/DL/1/2024-SSW Dated: 04.12.2024

To,

Ms. Shilpa Shinde,
Chief Executive Officer
Delhi Jal Board,
GNCTD,Varunalaya Ph-II,
Jhandewalan, Karol Bagh, New Delhi – 110005
Email Id: ceodelhi.djb@nic.in, Tel. No: 01123511658

Sub:- Reinstatement of ST employee in Delhi Jal Board - a representation dated 11.03.2024 of Shri Vinod Kumar, (Elect. IInd Class), Delhi Jal Board, New Delhi.

महोदय/ महोदया,

I am directed to enclose herewith a copy of the minutes of the sitting held on 18.11.2024 at 11:00 AM under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, National Commission for Scheduled Tribes, Lok Nayak Bhawan, Khan Market, New Delhi 110003 on the above mentioned subject.

It is requested that the action taken/ to be taken in the matter may be intimated to NCST within stipulated time from receipt of the letter for placing it before the Commission.

Yours faithfully,

(एच.आर.मीना /H.R Meena)
अनुसंधान अधिकारी / Research Officer
Tel:- 24641640

Copy for information:-

1. Shri Vinod Kumar,
   H.No. 333, Gali No.3,
   Azad Nagar Jagadhri,
   Yamunanagar (Haryana) -135001 (Mobile No:9818541839) (Email: vinodsah4177@gmail.com
2. PS to Hon'ble Member (AL), NCST
3. NIC, NCST for uploading on the website of the Commission.

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

माननीय सदस्य महोदया, डॉ. आशा लकड़ा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्षता में श्री विनोद कुमार, पूर्व इलेक्ट्रिशियन द्वितीय श्रेणी, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड द्वारा नौकरी से बर्खास्त करने के संबंध में दिनांक 18.11.2024 को 11:00 बजे सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त।

बैठक की तिथि : 18.11.2024, सुबह 11:00 बजे

प्रतिभागियों की सूची – संलग्नक

फ़ाइल न. NCST/SER-1294/DL/1/2024-SSW

श्री विनोद कुमार, इलेक्ट्रिशियन द्वितीय श्रेणी, दिल्ली जल बोर्ड ने अपनी याचिका दिनांक 11.03.2024 के माध्यम से बताया कि दिल्ली जल बोर्ड ने उन्हे दिनांक 28 फरवरी 2023 को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। दिल्ली जल बोर्ड ने अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र को सत्यापित करने के लिए दो अधिकारियों को सीवान (बिहार) भेजा था और अधिकारियों ने रिपोर्ट दी कि सीरियल नंबर मेल नहीं खाते। इस रिपोर्ट के आधार पर दिल्ली जल बोर्ड ने नौकरी से बर्खास्त कर दिया । इस विषय पर जिला सीवान के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्होंने पत्र दिनांक 24.03.2023 के द्वारा दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य सतर्कता अधिकारी को सूचित किया कि "विनोद कुमार, पिता लाल चंद, सा0- चौकीहसन, पोस्ट- तरवारा, अंचल-बड़हरिया, जिला–सीवान जाति के गोंड जो अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते है" को अधिकारियों ने रिवियू ऑर्डर में विचार नहीं किया। अतः न्याय करने का कष्ट करे ।

2. प्रकरण को NCST ने समसंख्यक नोटिस दिनांक 19.04.2024 द्वारा CEO, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली को 30 दिनों के अंदर तथ्य तथा आख्या प्रेषित करने का आग्रह किया ।

3. दिल्ली जल बोर्ड ने अपने पत्र कर्मांक DJB/DD(G)-I/Info/2024-D-618 दिनांक 08.10.2024 के माध्यम से सूचित किया है कि सतर्कता (Vigilance) विंग द्वारा जांच में याचिकाकर्ता का जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया। जिसमे बताया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी, सीवान ने पत्र दिनांक 18.02.2019 के माध्यम से सूचित किया कि "जाति प्रमाण पत्र स 530 दिनांक 6.4.1991 का मिलान कार्यालय में संधारित पंजी से किया गया जिसके अनुसार उक्त प्रमाण पत्र भगवान साह, पिता शिव चंद साह, ग्राम – मीरपुर , पोस्ट – संजलपुर थाना – आंदर, जाति – गोंड अंकित एंव निर्गत है । विनोद कुमार, पिता लाल चंद, ग्राम - चौकीहसन, पोस्ट- तरवारा, थाना -बड़हरिया, जाति -गोंड पंजी में संधारित और निर्गत नहीं है ।" इसके बाद नियमानुसार उनके खिलाफ जांच शुरू की गई और फर्जी ST प्रमाण पत्र रखने के कारण उन्हे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया।

आशा लकड़ा
डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

4. आयोग ने प्रकरण में दिनांक 18.11.2024 को CEO, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली और याचिकाकर्ता के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया, जिसकी सूचना सिटिंग नोटिस दिनांक 13.11.2024 द्वारा अधिकारी एंव आवेदक को दी गई। सीईओ, दिल्ली जल बोर्ड बैठक में उपस्थित नहीं हुई उनके स्थान पर अतिरिक्त सीईओ, दिल्ली जल बोर्ड, बैठक में उपस्थित हुये तथा आवेदक उपस्थित नहीं हुये।

5. बैठक में दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों ने दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा दिये गए तथ्य तथा आख्या को दोहराया और बताया कि मामले में उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।दिल्ली जल बोर्ड, आवेदक को सेवानिवृत्ति की आयु तक पेंशन की 50% अनुदान राशि के रूप में स्वीकृति दे चुका है।

6. आयोग ने पाया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आवेदक के अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के जांच के लिए अपनाई गई जांच प्रक्रिया उचित नहीं थी। जिसके कारण आवेदक को दिल्ली जल बोर्ड ने नौकरी से निकाल दिया, जो कि अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी के विरुद्ध एक बड़ी सज़ा है। अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र के सत्यापन के लिए सीवान जिला के "जिला स्तरीय जांच समिति" को भेजा जाना चाहिए था। आवेदक अनुसूचित जनजाति से संबंधित है या नहीं, की जाँच "जिला स्तरीय जांच समिति" द्वारा की जानी चाहिए थी ।

7. प्रकरण मे दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों तथा आवेदक के अभ्यावेदन दिनांक 11.03.2024 के साथ, अनुमंडल पदाधिकारी, सीवान- सदर के ज्ञापंक 503 दिनांक 24.03.2023 जो आवेदक को संबोधित तथा मुख्य सतर्कता अधिकारी, दिल्ली जल बोर्ड, नई दिल्ली को प्रतिलिपि के रूप में, संलग्न किया है पर चर्चा के बाद, निम्नलिखित संस्तुतियाँ की तथा सुझाव दिया कि की गई / की जाने वाली कार्यवाही रिपोर्ट एक माह के अंदर आयोग को भेजें –

1. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आवेदक के जाति प्रमाण पत्र दिनांक 24.03.2023 के सत्यापन हेतु, जिला – सीवान के "जिला स्तरीय जांच समिति" को सौपने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, जिला- सीवान के साथ पत्राचार करें एंव इसकी रिपोर्ट एक माह के भीतर आयोग में प्रेषित करे.
2. दिल्ली जल बोर्ड द्वारा आवेदक को दिये जा रहे देय पेंशन के 50% अनुदान राशि के रूप के बारे में भी एक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

आशा लकड़ा

(डॉ. आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

List of participants of the sitting held on 18.11.2024 at 11:00 AM under the Chairmanship of Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member, NCST in the case of Shri Vinod Kumar, (Elect. IInd Class), Delhi Jal Board, New Delhi regarding Reinstatement of ST employee in Delhi Jal Board

Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Shri Surat Singh Director		
2.	Sh R. S. Misra Consultant		
3.	Shri Akash Tripathy Sr. Investigator		
4.	Shri Neelmani Thakur Consultant (Legal)		
II	**Delhi Jal Board**		
Sr. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
1.	SACHIN RANA Addl. CEO, DJB	9560521186	[signature]
2.	Pardeep Kumar. Deputy Director, DJB	9999151835	[signature]
3.	Arun Joshi, SO	9650290739	[signature]
4.			
III	**Petitioner**		